



2026:AHC:172194

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3556 सन् 2016

परमेश्वर राम

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : आनंद कुमार पाण्डेय, अशोक कुमार मिश्रा,
कृष्ण कान्त तिवारी, आर. बी. त्रिपाठी

प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(क्रम संख्या 6)

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

दीवानी प्रकीर्ण संशोधन आवेदन संख्या 59986 सन् 2016 पर आदेश

1. वर्तमान संशोधन आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 'प्रार्थना संख्या 1' में हुई टंकण संबंधी त्रुटि के सुधार की मांग की गई है। आक्षेपित आदेश को केवल अनुलग्नक-7 के रूप में उल्लिखित किया गया है, जबकि सही स्थिति यह है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 21.10.2015 को रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न किया गया है।

2. ऐसी स्थिति में, संशोधन आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

3. ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज के दिन के दौरान रिट याचिका में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



रिट याचिका पर आदेश

1. आक्षेपित आदेश दिनांक 21.10.2015 के माध्यम से याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि **रिट-ए संख्या 50164 सन् 2011** में पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत याचिकाकर्ता सेवा में कार्यरत था और उक्त याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त **रिट-ए संख्या 50164 सन् 2011** को दिनांक 18.02.2020 के आदेश द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया था, जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:-

“13. इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित विभिन्न आदेशों के अनुसरण में अब जो चयन किया गया है, वह जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया है। अतः दिनांक 02.05.2009 के याचिकाकर्तागण के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किए गए चयन में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 04.08.2011 को आदेश पारित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्तागण को नहीं सुना गया था। जिस शासनादेश पर उन्होंने भरोसा किया था, वह दिनांक 05.02.2010 को जारी किया गया था, अर्थात् याचिकाकर्तागण का चयन दिनांक 02.05.2009 को किए जाने के काफी बाद। बाद में जारी किया गया शासनादेश पहले किए गए चयन को नियंत्रित नहीं कर सकता।

14. दिनांक 04.08.2011 एवं 12.08.2011 के आदेश निरस्त किए जाते हैं।

15. रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

16. दिनांक 02.05.2009 को कार्यवाही करने वाली चयन समिति के अनुसरण में याचिकाकर्तागण के नियमितीकरण का विषय रिट याचिका संख्या 55978 सन् 2009, हरि यादव एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में विचाराधीन विषय न होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के कारण याचिकाकर्तागण को पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता, क्योंकि यह विधि की स्थापित स्थिति है कि केवल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के कारण किसी पक्षकार को प्रतिकूल स्थिति में नहीं डाला जा सकता।

17. याचिकाकर्तागण को दिनांक 25.05.2009, 14.07.2010 एवं 16.09.2010 के आदेशों द्वारा चपरासी के पद पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से विधिवत नियमितीकृत माना जाएगा।”

3. ऐसी स्थिति में, चूँकि याचिकाकर्ता के पक्ष में पहले ही सकारात्मक निर्देश पारित किया जा चुका है, अतः वर्तमान याचिका में कोई अन्य निर्देश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और रिट-ए संख्या 50164 सन् 2011 में दिनांक 18.02.2020 को पारित आदेश के दृष्टिगत वर्तमान याचिका निष्फल हो गई है।

4. तदनुसार, वर्तमान याचिका को **निष्फल होने के कारण खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

14 अगस्त, 2026

शुभम आर्य